रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 4 फरवरी, 1997/15 माघ, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 जनवरी, 1997

संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (13) 1/96 (IV).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज़ टैक्स ऐक्ट, 1968 (1968 का 24) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "पायनियर उद्योग" जो कि 1-10-1996 को या उसके बाद वाणिज्यिक उत्पाद में आया हो

और आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ ब्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो, द्वारा विनिर्मित और विक्रय किए गए माल के विषय में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विक्रय कर के संदाय से छूट प्रदान करत है, अर्थात् :–

(i) पात्र औद्योगिक इकाई प्रत्येक बर्ष 30 अप्रैल तक समुचित निर्धारण प्राधिकारी के पास हिमाचल प्रदेश सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में तारीख 12-2-1992 द्वारा प्रकाशित विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई0 एण्ड टी0-III तारीख 7-2-1992 द्वारा विहित प्ररूप आर0 एम0 II में एक प्रमाण पत्र दायर करगी ।

(ii) यह कि छूट यहां दर्शाए गए अधिकतम समय के लिए उपलब्ध रहेगी ; अर्थात् :—

औद्योगिक ब्लाक का प्रवर्ग	विक्रय कर में छूट की प्रसुविधा उपलब्ध करने की कुल अवधि
"ए"	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 12 वर्ष (144 मास)
"बी"	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 9 वर्ष (108 मास)
"सी"	वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 7 वर्ष (84 मास)

परन्तु "सी" प्रवर्ग के औद्योगिक ब्लाक में स्थित इलैक्ट्रोनिक औद्योगिक इकाईयां जो नाकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट है और संमजन में मूल्य परिवर्धन 14 प्रतिशत या इससे कम हो, को विक्रय कर में छूट उपलब्ध नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि इलैक्ट्रोनिक्स औद्योगिक इकाईयों के मामले में जिसमें कम्प्यूटर साफ्टवेयर और इलैक्ट्रोनिक्स संमजन की वे इकाईयां भी सम्मिलित है जिसमें संमजन मूल्य परिवर्धन 14 प्रतिशत से अधिक है परन्तु उनमें नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक्स समंजन इकाईयां सम्मिलित नहीं है । सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से केवल 5 वर्ष की अवधि तक विक्रय कर से छूट होगी और तत्पश्चात् 2 वर्ष की और अवधि तक ऐसी इकाई द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर धारा 6 के अधीन अधिसूचित किए गए दरों के आधार पर 50 प्रतिशत की रियायती पर से विक्रय कर उदग्रहीत होगा ।

परन्तु यह और कि यदि "पायनियर उद्योग" "प्रायरिटी उद्योग" भी है तो ऐसी दशा में औद्योगिक ब्लाक "ए" "बी" और "सी" में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाई के लिए क्रमशः 12 वर्ष 10 वर्ष और 10 वर्ष के लिए विक्रय कर के संदाय से छूट उपलब्ध होगी ।

(iii) यह कि छूट की प्रसुविधा तभी मिलेगी जबकि :—

(क) समस्त विनिर्मित माल निर्माता द्वारा स्वयं बेचा जाए परन्तु यदि सम्बन्धित औद्योगिक इकाई विनिर्मित माल को हिमाचल प्रदेश में पुनः विक्रय के लिए क्रय या अर्जित करें तो उसे छूट नहीं मिलेगी ।

(ख) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12173-ई0 एण्ड टी0-III, तारीख, 25-9-1992 और राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 1-10-1992 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0 एफ0 (13) 1/96- (VI) दिनांक 21-1-1997 द्वारा यथा संशोधित समस्त नई औद्योगिक इकाईयों को जिसके अन्तर्गत नकारात्मक सूची (उनके अलावा जो बूरी आसवनी फलों पर अनाधारित वाईनरी और बाटलिंग प्लांट (देसी शराब और भारत में विनिर्मित विदेशी शराब दोनों वाले) और वह औद्योगिक इकाईयां जो औद्योगिक प्रवर्ग के "सी" ब्लाक में स्थित हों को उपलब्ध होगी ; और

(ग) केवल उन औद्योगिक इकाईयों को, जो हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 के समस्त उपबंधों और तद्धीन बनाए नियमों, और जारी की गई अधिसूचनाओं का अनुपालन करें।

स्पष्टीकरण.—(1) इस अधिसूचना में.—(क) "पायनियर उद्योगों" से औद्योगिक ब्लाक "ए" श्रेणी में कोई प्रथम सात मध्यम या बड़े स्तर के उद्योग, औद्योगिक ब्लाक "बी" श्रेणी में कोई प्रथम पांच मध्यम या बड़े स्तर के उद्योग, औद्योगिक ब्लाक "सी" श्रेणी में कोई प्रथम एक मध्यम या बड़े स्तर के उद्योग (औद्योगिक ब्लाक "ए" "बी" और "सी" में स्थापित सिमेंट उद्योगों दूरी आसवनी फलों पर अनाधारित वाईनरी और बाटलिंग प्लांट देसी शराब और भारत में विनिर्मित विदेशी शराब दोनों वाले) और इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई0 एण्ड टी0-III, तारीख 25-9-1992 द्वारा अधिसूचित, राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में, तारीख 1-10-1992 को प्रकाशित नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक ब्लाक "सी" श्रेणी में स्थापित उद्योगों जिसमें कि शिमला नगरपालिका की सीमाओं में स्थित उद्योग भी शामिल हैं, को छोड़ कर जो सशक्त समिति के साथ रजिस्ट्रीकृत हों और नियमित आधार पर सभी पदों के प्रवर्ग में कम से कम 100 व्यक्तियों या इसकी कुल मानव शक्ति का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को नियोजित करें अभिप्रेत हैं।

(ख) "औद्योगिक ब्लाक" "मध्यम और बड़े स्तर की औद्योगिक इकाईयां" "सशक्त समिति" और "नकारात्मक सूची" अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उनके इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-12/73-ई0 एण्ड टी0-III, तारीख 25-9-1992 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 1-10-1992 को प्रकाशित में इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0 एक्स0 एन0 एफ0 (13) 1/96 (VI), तारीख 27-1-1997 द्वारा यथा संशोधित है में समनुदेशित किए हैं।

(ग) "प्रायोरिटी उद्योग" से हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 से संलग्न अनुसूची "बी" की मद संख्या 66 और 76 में विनिर्दिष्ट उद्योग अभिप्रेत है।

आदेश द्वारा,
एस0 एस0 परमार,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F* (13) 1/96 (*iv*) *dated* 27-1-97 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th January, 1997

No. EXN-F (13) 1/96 (iv).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant exemption from the payment of sales tax in respect of goods manufactured and sold by the "pioneer industries", which came into commercial production on or after 1st day of October, 1996 and are registered with the Excise and Taxation Department, Himachal Pradesh as a 'dealer', subject to the following conditions :—

(*i*) that the eligible industrial unit will file by the 30th April every year with the appropriate Assessing Authority a certificate in Form R. M. II prescribed by the Himachal Pradesh Government, Excise and Taxation Department's Notification No. 1-12/73-E&T-III,

dated 7-2-1992, published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 12-2-92 issued by the authority specified therein;

(*ii*) that the exemption will be available for the maximum periods specified hereinunder:—

Category of industrial block 1	Total period for which the benefit of exemption from sales tax will be available 2
'A'	12 years (144 months) from the date of commercial production.
'B'	9 years (108 months) from the date of commercial production.
'C'	7 years (84 months) from the date of commercial production.

Provided that no exemption from sales tax shall be available to electronic industrial units, specified in the negative list located in 'C' category of industrial block where value addition in assembling is 14% or less.

Provided further that in the case of electronic industrial units, including computer software and electronic assembly units where value addition in assembling is more than 14%, but excluding the electronic assembly units as specified in the negative list, the exemption from sales tax will be only a period of five years from the date of commencement of commercial production by the concerned industrial unit, and thereafter for a further period of two years sales tax at concessional rate of 50% of the rates notified under section 6 shall be levied on the sale of goods manufactured by such industrial units :

Provided further that if the 'pioneer industry' is also a 'priority industry' the exemption from payment of sales tax will be available for 12 years, 10 years and 10 years for industries established in the Industrial Block 'A', 'B' and 'C' respectively.

(*iii*) that the benefit of exemption will be available:—

(*a*) Where all the goods manufactured are sold by the manufacturers themselves and it shall not be open for finished goods purchased or acquired by concerned industrial units for re-sale in Himachal Pradesh;

(*b*) to all new industrial units including the industrial units falling in the negative list (other than Breweries, Distilleries, non-fruit based wineries and Bottling Plants) (both for Country Liquor and Indian Made Foreign Liqour) and also the industrial units located in 'C' category of industrial block notified *vide* this Department Notification No. 1-12/73-E&T-III, dated 25-9-1992, published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 1-10-92 and as amended *vide* this Department Notification No. EXN-F (13) 1/96 (vi), dated 27-1-97; and

(*c*) only to those industrial units which comply with all provisions of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 and rules framed and notifications issued thereunder.

Explanation.—(*i*) In this notification:—

(*a*) "prioneer industries" means any first seven medium or large scale industries in category 'A' of industrial block, any first five medium or large scale industries in category 'B' of Industrial Block, any first five 'medium' or 'large scale industry'

in category' 'C' of industrial block (excluding cement industries Breweries, Distilleries, non-fruit based wineries and Bottling Plants both for Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor) located in 'A', 'B' and 'C' category of industrial block and the industries specified in 'negative list' notified *vide* this department notification No. 1-12/73-E&T-III dated 25-9-1992, published in Rajpatra Himachal Pradesh *(Extra-ordinary) on* 1-10-1992 which are located in the category 'C' of Industrial Block including the industries located within the municipal limits of Shimla Town which are registered with the Empowered Committee and employ on regular basis in all categories of posts, atleast 100 persons or 50% of its total manpower, whichever is greater, *bonafide* residents of Himachal Pradesh.

(*b*) the expressions "industrial block" medium and large scale industrial units, "Empowered Committee" and "negative list" shall have the same meanings as assigned to them *vide* this department notification No. 1-12/73-E&T-III, dated 25-9-1992, and published in Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 1-10-1992 and as amended *vide* Notification No. **EXN-F (13)** 1/96 **(vi)** dated 27-1-97;

(*c*) "priority industry" means the industries which have been specified under item No. 66 and 76 of Schedule 'B' appended to the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968.

By order,
S. S. PARMAR,
Financial Commissioner-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।